

I/38097/2023



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office,  
Chandigarh



मिसिल संख्या :- 9-HRB083/2022-CHA  
सेवा में ,

दिनांक: -02-2023

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),  
हरियाणा सरकार,  
हरियाणा सिविल सचिवालय,  
चण्डीगढ़ - 160001 ([fcforest@hry.nic.in](mailto:fcforest@hry.nic.in))

**विषय:- Diversion of 0.70875 ha of forest land for laying of natural gas pipeline of M/s HCG(KCE) Pvt. Ltd. having trench width 450mm total length 15730 LHS along various PWD roads in District Hisar, Haryana (Online proposal FP/HR/Pipeline/152105/2022)**

संदर्भ (i) State Government compliance received on dated 25.07.2022  
(ii) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10300/2949 दिनांक 17.01.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.08.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) व नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10300/2949 दिनांक 17.01.2023 (ऑनलाइन पोर्टल) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.70875 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

- वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
- प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधे नहीं काटे जायेंगे और वन्यजीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण किया जायेगा।
- कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

I/38097/2023

- x. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है।
- xi. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।
- यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय,

हस्ता/-  
(राजा राम सिंह)  
उप-वन- महानिरीक्षक  
IRO, MoEF&CC

प्रतिलिपि:-

- वन महानिरीक्षक (ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली | ([fcdiv-mefcc@gov.in](mailto:fcdiv-mefcc@gov.in))
- The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. ([pccf-hry@nic.in](mailto:pccf-hry@nic.in))
- The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. ([cffcpanchkula@gmail.com](mailto:cffcpanchkula@gmail.com))
- The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana ([haryanacampa@gmail.com](mailto:haryanacampa@gmail.com))
- Divisional Forest Officer, Forest Division & District Hisar, Haryana ([dfo.hsr-hry@nic.in](mailto:dfo.hsr-hry@nic.in))
- M/s HCG (KCE) Private Limited, A-149 Sushant Lok, Phase-1, Gurgaon, Hisar, Haryana-122022 ([rohit@hcgkapilchopra.com](mailto:rohit@hcgkapilchopra.com)).